



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chavanayog@gmail.com

फोन न० 0135-2669658

फैक्स न० 0135-2672902

विज्ञापन संख्या: 20/उ0अ0से0च0आ0/2019

दिनांक: 12.09.2019

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के अधीनस्थ न्यायालयों (जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों) में समूह 'ग' के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 288 पदों तथा आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के रिक्त 41 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	12.09.2019
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	16.09.2019
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	15.10.2019
परीक्षा शुल्क <i>Net Banking/Debit Card</i> द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	17.10.2019
लिखित प्रतियोगी परीक्षा का अनुमानित तिथि	03.11.2019

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 268 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 30 पदों एवं कुटुम्ब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 20 पदों तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक के रिक्त 11 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक **15.10.2019** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नोट-अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट व सम्बन्धित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

आयोग द्वारा *OTR(One Time Registration)* को अनिवार्य कर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा *OTR* प्रोफाइल नहीं भरे गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व *OTR* भरना अनिवार्य है। *OTR* में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व *OTR* को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व *OTR* की जानकारी को *OTR* के *Edit* विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित *OTR* होने पर ही आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ करें। त्रुटिपूर्ण *OTR* तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। *OTR* भरने में सहायता के लिए **Toll Free No. 6399990138/139/140/141** पर संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त वर्णित तिथि अनुमानित है तथा परीक्षा की तिथि की

सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

* अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भली-भाँति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम— कनिष्ठ सहायक

पदकोड—133

(i) रिक्तियों का विवरण तथा उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	उप पदकोड/जनपद	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
					WO (30%)	DFP (02%)	Ex (05%)	PH (04%)	Open	
1.	133.1	कनिष्ठ सहायक(दीवानी न्यायालयों हेतु)								
		अल्मोड़ा	कनिष्ठ सहायक रू० 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ०जा० (S.C.)	03	01	-	-	-	02
				अ०ज०जा० (S.T.)	01	-	-	-	-	01
				अ०पि०व० (O.B.C.)	02	01	-	-	-	01
				आ०क०व० (E.W.S.)	02	01	-	-	-	01
				सामान्य (GEN.)	09	02	-	-	-	07
				योग (Total)	17	05	-	-	-	12
	बागेश्वर	कनिष्ठ सहायक रू० 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ०जा० (S.C.)	02	01	-	-	-	01	
			अ०ज०जा० (S.T.)	-	-	-	-	-	-	
			अ०पि०व० (O.B.C.)	01	01	-	-	-	-	
			आ०क०व० (E.W.S.)	02	01	-	-	-	01	
			सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01	
			योग (Total)	06	03	-	-	-	03	
	चमोली	कनिष्ठ सहायक रू० 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ०जा० (S.C.)	03	01	-	-	-	02	
			अ०ज०जा० (S.T.)	-	-	-	-	-	-	
			अ०पि०व० (O.B.C.)	02	01	-	-	-	01	

			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	—	—	—		02
			सामान्य (GEN.)	07	02	—	—		05
			योग(Total)	14	04	—	—	—	10
	चम्पावत	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	01	—	—	—	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	03	01	—	—		02
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	01	—	—		01
			सामान्य (GEN.)	05	02	—	01		02
			योग (Total)	13	05	—	01	—	07
	देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	12	04	—	01	01	07
			अ0ज0जा0 (S.T.)	02	01	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	09	03	—	—		06
			आ0क0व0 (E.W.S.)	06	02	—	—		04
			सामान्य (GEN.)	32	10	01	02		18
			योग (Total)	61	20	01	03	01	36
	हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	05	03	—	01	01	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	01	—	—		—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	04	03	—	—		01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	06	02	—	—		04
			सामान्य (GEN.)	20	06	—	02		11
			योग (Total)	36	15	—	03	01	17
	नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700—69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	06	02	—	—	01	04
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	04	01	—	—		03
			आ0क0व0 (E.W.S.)	03	01	—	—		02

			सामान्य (GEN.)	18	05	—	01		11
			योग (Total)	32	09	—	01	01	21
	पौड़ी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	03	01	—	—		02
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	01	—	—		01
			सामान्य (GEN.)	07	02	—	—		05
			योग (Total)	17	05	—	—		12
	पिथौरागढ़	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	01	—	—	—	—
			अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	—	—	—		01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	—	—	—		01
			सामान्य (GEN.)	06	02	—	—		04
			योग (Total)	09	03	—	—		06
	रुद्रप्रयाग	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	04	01	—	—	—	03
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	02	—	—	—		02
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	01	—	—		01
			सामान्य (GEN.)	04	01	—	—		03
			योग (Total)	13	03	—	—		10
	टिहरी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700–69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	03	01	—	—	—	02
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—		01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	02	—	—	—		02
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	—	—	—		02
			सामान्य (GEN.)	03	01	—	—		02

			योग (Total)	11	02	—	—	—	09
उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	06	02	—	—	01	01	04
		अ0ज0जा0 (S.T.)	01	—	—	—			01
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	04	01	—	—			03
		आ0क0व0 (E.W.S.)	03	01	—	—			02
		सामान्य (GEN.)	17	05	—	01			10
		योग (Total)	31	09	—	01			01
उत्तरकाशी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	02	01	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—			—
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	—	—	—			01
		आ0क0व0 (E.W.S.)	01	—	—	—			01
		सामान्य (GEN.)	04	01	—	—			03
		योग (Total)	08	02	—	—			—
कुल योग			268	85	01	09	04	169	

क्र0 सं0	उप पदकोड/ जनपद	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO (30%)	DFP (02%)	Ex (05%)	PH (04%)	Others
2.	133.2	कनिष्ठ सहायक(कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)							
अल्मोड़ा	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—			—
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	—	—	—	—			—
		आ0क0व0 (E.W.S.)	—	—	—	—			—
		सामान्य (GEN.)	01	—	—	—			01
		योग (Total)	01	—	—	—			—

प्रधान जज, कुटुम्ब न्यायालय देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	-	-	-	-	01
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	-	-	-	-	01
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	05	02	-	-	-	03
		योग (Total)	07	02	-	-	-	05
विकासनगर देहरादून	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
रूडकी हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 लेवल-3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01

लक्सर हरिद्वार	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
हल्द्वानी नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
नैनीताल	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
पौड़ी	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01

कोटद्वार पौड़ी	कनिष्ठ सहायक रु0 21700-69100 लेवल-3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-		-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-		-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-		-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-		01
		योग (Total)	01	-	-	-		-
टिहरी	कनिष्ठ सहायक रु0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-		-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-		-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-		-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-		01
		योग (Total)	01	-	-	-		-
उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रु0 21700-69100 लेवल-3 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-		-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-		-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-		-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-		01
		योग (Total)	01	-	-	-		-
खटीमा उधमसिंहनगर	कनिष्ठ सहायक रु0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-		-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-		-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-		-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-		01
		योग (Total)	01	-	-	-		-

काशीपुर उधमसिंह नगर	कनिष्ठ सहायक रू0 21700-69100 (लेवल-3) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-
कुल योग		20	02	-	-	-	18

नोट:-शासनादेश संख्या: 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग-अलग आरक्षण श्रेणी में आबंटित नहीं किया गया है, तथापि आवेदन-पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिससे चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर में संबंधित श्रेणी में समायोजित (*Adjust*) किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता [OA, OL or BL] के अनुरूप ही आवेदन-पत्र भरें। क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगों को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 312(1)/XXX(2)/2017 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। दिव्यांगजनों को भी स्वस्थता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ii) **वेतनमान:-** रू0 21,700-रू0 69,100 (लेवल-03)

(iii) **पद का स्वरूप:-**अराजपत्रित, स्थायी एवं अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) **आयु सीमा-** 21 वर्ष से 35 वर्ष

(v) **शैक्षिक अर्हता:-**

(a) **अनिवार्य अर्हता:-**

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

(b) **अधिमान:-**टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिन्दी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi)(a) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 2 घण्टा 30 मिनट की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है।

(b) टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी।

02- पदनाम- आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक

पदकोड- 134

(i) रिक्तियों का विवरण तथा उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र० सं०	उप पदकोड / जनपद	पदनाम / विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO (30%)	DFP (02%)	Ex (05%)	PH (04%)	Others
1.	134.1	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक (दीवानी न्यायालयों हेतु)							
	चमोली	आशुलिपिक रु० 29200-92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ०जा० (S.C.)	-	-	-	-	-	-
			अ०ज०जा० (S.T.)	-	-	-	-	-	-
			अ०पि०व० (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
			आ०क०व० (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
			सामान्य (GEN.)	03	01	01	-	-	01
			योग (Total)	03	01	01	-	-	01
	देहरादून	आशुलिपिक रु० 29200-92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ०जा० (S.C.)	02	01	-	-	-	01
			अ०ज०जा० (S.T.)	-	-	-	-	-	-
			अ०पि०व० (O.B.C.)	01	-	-	-	-	01
			आ०क०व० (E.W.S.)	01	-	-	-	-	01
			सामान्य (GEN.)	02	01	-	-	-	01
			योग (Total)	06	02	-	-	-	04
	हरिद्वार	आशुलिपिक रु० 29200-92300 (लेवल-5)	अ०जा० (S.C.)	01	01	-	-	-	
			अ०ज०जा० (S.T.)	-	-	-	-	-	

		सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	01	-	-	-	-
			आ0क0व0 (E.W.S.)	02	01	-	-	-	01
			सामान्य (GEN.)	01	01	-	-	-	-
			योग (Total)	05	04	-	-	-	01
		वैयक्तिक सहायक रू0 29200-92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	-	-	-	-	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
			सामान्य (GEN.)	02	01	-	-	-	01
			योग (Total)	03	01	-	-	-	02
	पौड़ी गढ़वाल	आशुलिपिक रू0 29200-92300 लेवल-5 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	-	-	-	-	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	01	-	-	-	-	01
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	-	-	-	-	01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	01	-	-	-	-	01
			सामान्य (GEN.)	02	01	-	-	-	01
			योग (Total)	06	01	-	-	-	05
		आशुलिपिक रू0 29200-92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	-	-	-	-	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	-	-	-	-	01
			आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
			सामान्य (GEN.)	-	-	-	-	-	-
			योग (Total)	02	-	-	-	-	02
		आशुलिपिक रू0 29200-92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	01	-	-	-	-	01
			अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0 (O.B.C.)	01	-	-	-	-	01

		के अनुसार	आ0क0व0 (E.W.S.)	—	—	—	—	—
			सामान्य (GEN.)	02	01	—	—	01
			योग (Total)	04	01	—	—	03
उत्तरकाशी	आशुलिपिक रू0 29200—92300 (लेवल-5) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	—	—	—	—	—	
		अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0 (E.W.S.)	—	—	—	—	—	
		सामान्य (GEN.)	01	—	—	—	01	
		योग (Total)	01	—	—	—	01	
कुल योग			30	10	01	—	19	

क्र0 सं0	उप पदकोड/ जनपद	पदनाम/विभाग का नाम	श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					WO (30%)	DFP (02%)	Ex (05%)	PH (04%)	Open
2.	134.2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 / वैयक्तिक सहायक (कुटुम्ब न्यायालयों हेतु)							
अल्मोड़ा	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रू0 44900—142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	—	—	—	—	—	—	
		अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—	—		
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	—	—	—	—	—		
		आ0क0व0 (E.W.S.)	—	—	—	—	—		
		सामान्य (GEN.)	01	—	—	—	01		
		योग (Total)	01	—	—	—	—	01	
प्रधान जज, कुटुम्ब न्यायालय देहरादून	वैयक्तिक सहायक रू0 44900—142400 लेवल-7 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	—	—	—	—	—		
		अ0ज0जा0 (S.T.)	—	—	—	—	—		
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	—	—	—	—	—		
		आ0क0व0 (E.W.S.)	—	—	—	—	—		
		सामान्य (GEN.)	02	01	—	—	01		
		योग (Total)	02	01	—	—	—	01	

लक्सर (हरिद्वार)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
हल्द्वानी (नैनीताल)	वैयक्तिक सहायक रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
नैनीताल	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01

टिहरी गढ़वाल	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रु0 44900-142400 लेवल-7 सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
खटीमा (उधमसिंह नगर)	वैयक्तिक सहायक रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
काशीपुर (उधमसिंह नगर)	वैयक्तिक सहायक रु0 44900-142400 (लेवल-7) सातवें वेतन आयोग के अनुसार	अ0जा0 (S.C.)	-	-	-	-	-	-
		अ0ज0जा0 (S.T.)	-	-	-	-	-	-
		अ0पि0व0 (O.B.C.)	-	-	-	-	-	-
		आ0क0व0 (E.W.S.)	-	-	-	-	-	-
		सामान्य (GEN.)	01	-	-	-	-	01
		योग (Total)	01	-	-	-	-	01
कुल योग		11	01	-	-	-	10	

नोटः—शासनादेश संख्या: 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग-अलग आरक्षण श्रेणी में आबंटित नहीं किया गया है, तथापि आवेदन-पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिससे चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर में संबंधित श्रेणी में समायोजित (*Adjust*) किया जा सके। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगों को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 312(1)/XXX(2)/2017 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(ii) **वेतनमानः**— 1—रु0 44900—142400 (लेवल-07) (कुटुम्ब न्यायालयों में)
2—रु0 29200—92300 (लेवल-05) (दीवानी न्यायालयों में)

पद का स्वरूपः— अराजपत्रित, स्थायी एवं अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iii) **आयु सीमा**— 21 वर्ष से 35 वर्ष

(iv) **शैक्षिक अर्हताः**—

अनिवार्य अर्हताः—

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता।
2. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
3. हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में टंकण की कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में टंकण की कम्प्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हों।
4. कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो।

अधिमानः—टंकण व आशुलेखन परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिन्दी टंकण/आशुलेखन में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण/आशुलेखन में उत्तीर्ण हाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(vi) (a) **लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः**—

चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (**Objective Type with Multiple Choice**) की 2 घण्टा 30 मिनट की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है।

(b) टंकण/आशुलिपिक परीक्षा 60 अंकों की होगी।

लिखित प्रतियोगी परीक्षा –

(i) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Answer Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। सभी प्रतियों में इंप्रेशन आना अनिवार्य है।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर होंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिये जाएंगे।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं०. अथवा बुकलेट सीरीज दो स्थानों में अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(छ) आयोग द्वारा डिलीट (Delete) उत्तरों में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक दिये जायेंगे।

03- आयु :-

आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जनवरी, 2019 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2019 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

04. अनापत्ति प्रमाण–पत्र:–

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. राष्ट्रीयता :–

किसी व्यक्ति को लिपिकीय वर्ग अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि वह भारत का नागरिक हो।

06. चरित्र:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के जिससे उसने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, के प्रधान अधिकारी तथा जो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों से जो नातेदार ना हो, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हो, के द्वारा अच्छे चरित्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

07. वैवाहिक प्रास्थिति:–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

08. शारीरिक स्वस्थता:–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

09.आरक्षण:—

- 1. ऊर्ध्व आरक्षण—** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- 2. क्षैतिज आरक्षण—** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

नोट:— इन पदों के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण केवल राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य होगा।

(i) “भूतपूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह *Open Category* की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:—भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित” से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोट:—

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का

- 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
 3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदकों को पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और "OTR" लिंक पर क्लिक कर अपना *One Time Registration Profile* बनाना अनिवार्य होगा।
3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है।
4. उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव (Save) करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'इमेज' को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
 - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
 - स्कैन किये हुए अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)
6. 'यूजर नेम' के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध हैं।
7. "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।
8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
9. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।

10. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

11. UKSSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है:-

- नेटबैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- सीएससी केंद्र

11 शुल्क:-

ऑनलाईन आवेदनपत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (*Net Banking/Debit/Credit Card*) के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति अभ्यर्थी अपने पास संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने तक सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित	रु० 300.00
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 300.00
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रु० 150.00
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रु० 150.00
05	उत्तराखण्ड दिव्यांग	रु० 150.00

नोट:-निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा।

12. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) *OTR* तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही *OTR* तथा आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाईन आवेदन पत्र में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। 'साईबर कैफे' से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क

जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो *OTR* में *Edit* विकल्प में जायें। आवेदन पत्र भरने के बाद *Final Submit* बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं, किन्तु अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि, तीन प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगी। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार होगा/होगी तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन *OTR* तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 15.10.2019 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “*ONLINE APPLICATION*” प्रक्रिया में “*Submit*” बटन को “*Click*” करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों के ‘प्रिन्टआउट’ प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा *OTR* तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) *OTR* तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(09) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(11) आयोग द्वारा *OTR* की नई व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(13) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(14) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उसी दिन मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in तथा आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रसारित कर दिया जायेगा, इसके साथ ही दैनिक

समाचार पत्र पर प्रकाशित होगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा अथवा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि आयोग द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:—परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलाएंगे तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोका जा सकेगा।

(18) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करेंगे और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाएंगे। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करेंगे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करेंगे। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेगा।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(21) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से वरीयता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(22) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंको से श्रेष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर श्रेष्ठता का निर्धारण होगा।

(23) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में वरीयता के आधार पर राज्य के सभी जनपदों में नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयनोपरान्त उन्हें विकल्प के आधार पर (अभ्यर्थी की मेरिट व सम्बन्धित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन) नियुक्त किया जायेगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

(24) अभ्यर्थी को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

आ0क0व0— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

WO- महिला अभ्यर्थी

DFF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

Ex- भूतपूर्व सैनिक

PH- दिव्यांग

OA- एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया)

OL- एक पैर प्रभावित (दांया या बांया)

BL- दोनों पैर प्रभावित

(26) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

(संतोष बडोनी)

सचिव